न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अपील प्रकरण संख्या :— 09/2024

भाल चन्द पुत्र श्री जीतराम जाति कुम्हार निवासी चक 1 डी छोटी, साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर

—— अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. जीतराम पुत्र श्री सरदारा राम } अकवाम कुम्हार साकिन चक 1 डी छोटी,
3. कृष्णलाल पुत्र श्री हरीराम } साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1954

—:: उपस्थित ::—

1. श्री काशीराम रणवा अधिवक्ता अपीलान्ट
2. रेस्पोडेंट संख्या 2 स्वयं उपस्थित।

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 27.01.2025

अपीलार्थी द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट धारा 5 मियद अधिनियम में प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके चक 1 डी छोटी साधुवाली के मुरब्बा नं. 16, 22, 37, 38 की कुल 8.9040 हैक्टयर भूमि का खातेदार अपीलांट का पिता जीतराम था। जीतराम ने अपनी इस भूमि में से 1/2 हिस्सा अपीलांट के दूसरे भाई गोकुल चन्द जो रेस्पोडेन्ट सं. 2 का पुत्र हैं को जरिये उपहार पत्र दिनांक 14–06–2022 को हस्तान्तरित कर दिया था और इसके आधार पर इंतकाल संख्या 678 गोकुल चन्द के नाम स्वीकृत होकर इस मुरब्बा की जमाबन्दी में निस्फ हिस्सा गोकुल चन्द के नाम व शेष निस्फ हिस्सा जीतराम रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज कर दिया गया था। जमाबन्दी की नकल संलग्न अपील हैं। जीतराम रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपने नाम उपरोक्त 1/2 हिस्सा भूमि का शेष हिस्सा का रजिस्टर्ड उपहार पत्र अपीलांट के पक्ष में दिनांक 10–05–2023 को करवा दिया। यह निस्फ हिस्सा अपीलांट के नाम दर्ज कर दिया और इसके आधार पर इसका इंतकाल संख्या 703 अपीलांट के हक में स्वीकृत कर दिया गया था। इंतकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न अपील हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कृष्णलाल पुत्र श्री हरीराम रेस्पोडेन्ट सं. 3 ने एक अस्पष्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व मण्डल अजमेर से अपील संख्या 1781/2012 से एक स्थगन इस खाते में होना बताया और इस खाते की भूमि का नामान्तरण रिव्यू करने के लिए प्रस्तुत किया हैं। इस पर ग्राम पंचायत ने उक्त प्रार्थना पत्र के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

संलग्न दावा स्टे राजस्व मण्डल अजमेर का हवाला देकर यह अंकित किया हैं अपील संख्या 1781/2012 मौका विवाद जो कि बाद तस्दीक ग्राम पंचायत की जानकारी में आया परन्तु पुनः विचार विमर्श करते हुए ग्राम पंचायत की मीटिंग में निर्णय लिया जाकर राजस्थान लेण्ड रिकार्ड नियम 123 सर्वसम्मति से इस विवादित नामान्तरण का पुर्नः विलोकन कर निरस्त कर दिया। इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न अपील हैं। अपीलांट के हक में स्वीकृत इंतकाल दिनांक 22–06–2023 पर पुर्नःविचार करने से पूर्व अपीलांट को इस संबंध में धारा 86 की उपधारा 2 के प्रथम परन्तुक के अनुसार अपीलांट के पक्ष में हुए इन्तकाल स्वीकृति आदेश दिनांक 22–06–2023 का पुर्नविलोकन करने का कोई नोटिस अपीलांट को नहीं दिया गया और अपीलांट को बिना नोटिस दिये पुर्नविलोकन पर जो आदेश दिया वह विधि विरूद्ध व सहज न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय अपने आदेश को किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पत्र देने पर ही पुर्नविचार कर सकती थी। अपीलांट के पक्ष में हुए इंतकाल से अपीलांट के पिता रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 ही प्रभावित व हितबद्ध व्यक्ति था इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति हितबद्ध व्यक्ति नहीं था। कृष्णलाल पुत्र श्री हरीराम कोई हितबद्ध व्यक्ति नहीं था इसका आवेदन पत्र न काबिले गौर था और इसके आवेदन पत्र पर आदेश जेर अपील पारित नहीं किया जा सकता था आदेश विधि–विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश का पुर्नविलोकन करने में राजस्थान लेण्ड रिकार्ड नियम 123 का हवाला दिया हैं परन्तु इस नियम के अन्तर्गत केवल अर्थ मैटिकल व क्लेरिकल गलतीयों को ही सुधारा जा सकता हैं परन्तु अपीलांट के पक्ष में दिनांक 22–06–2023 को जो इन्तकाल तस्दीक किया गया था जिसके अर्थ मैटिकल व क्लेरिकल की कोई गलती नहीं थी और इसकी आड़ में अपीलांट के हक हुए इन्तकाल को निरस्त करने का जो आदेश दिया हैं, वह अधिकार विहिन होने से निरस्त होने योग्य हैं। जिस राजस्व मण्डल राजस्थान के अपील संख्या 1781/2012 का हवाला अधीनस्थ न्यायालय ने जो दिया हैं वह अपील चक 3 डी छोटी के मुरब्बा नं. 37के किला नं. 2 की भूमि जो दिनांक 21–09–1968 को कमी पूर्ति में अलॉट की गई के बारे में हैं। यह भूमि इस खाते का भाग नहीं हैं और उस अपील में जो स्थगन आदेश हुआ हैं वह उस अपील में निहित चक 3 डी छोटी के मुरब्बा नं. 37 के किला नं. 21 की 9 बिस्वा भूमि जो अपीलांट के इन्तकाल की भूमि से संबंधित नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील संख्या 1781/2012 का अवलोकन नहीं किया हैं और आदेश जेर अपील बिना तथ्यों की जानकारी के जारी कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। चक 3 डी छोटी के मुरब्बा नं. 37 के किला नं. 21 की 9 बिस्वा भूमि जीतराम रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को अलॉट हुई थी इसमें अपीलांट का संबंध नहीं था और न अपीलांट राजस्व मण्डल की अपील में पक्षकार था वह अपीलांट व अपीलांट की भूमि से संबंधित नहीं था । राजस्व मण्डल की अपील व स्थगन आदेश की प्रतिलिपि संलग्न अपील पेश है। आदेश जेर अपील निरस्त करने योग्य हैं, अन्य आपतियॉ बरक्त बहस उठायी जावेगी । आदेश जेर अपील अपीलांट की गैर हाजरी में अपीलांट को सुने बगैर पारित किया गया हैं इसकी कोई जानकारी अपीलांट को नहीं थी अपीलांट को भूमि उपहार पत्र में से मिलने पर इस भूमि का हिस्सेदार हो गया था और इससे अपीलांट ने भूमि विभाजन करवाकर अपने हिस्से की भूमि पृथक करने हेतु जमाबन्दी की नकल दिनांक 03–05–2024 के निकलवायी तो इससे भूमि अपीलांट के नाम न होकर गोकुल चन्द व जीतराम के नाम दर्ज हुई दिखायी गई और अपीलांट के नाम भूमि न होने की जानकारी प्राप्त हुई । इस नामान्तरण संख्या 703 का हवाला था और इसके साथ ही पुर्नविलोकन नामान्तरण उपहार का हवाला था इस पर अपीलांट ने पुर्नविलोकन नामान्तरण की जानकारी लेने के लिए पटवारी से सम्पर्क दिनांक 25–06–2024 को किया और पटवारी ने बताया कि इंतकाल संख्या 703 पुर्नविलोकन कर दिनांक 08–08–2023 को निरस्त कर दिया गया हैं। इस पर अपीलांट ने इस आदेश दिनांक 08–08–2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 26–06–2024 को प्राप्त की और राजस्व मण्डल से भी अपील संख्या 1781 / 2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि हासिल की और यह अपील आदेश जेर अपील की जानकारी दिनांक 25–06–2024 से अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं। कानूनन बिना अधिकार पारित किये गये आदेश के विरूद्ध मियाद का बिन्दु अपील दायर करने में उठाया नहीं जा सकता । अपील अपीलांट माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार

... अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

की हैं जो अन्दर अवधि उचित न्यायशुल्क पर पेश हैं। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावें ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिऐ रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 स्वयं उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 3 को जारी सम्मन के पश्चात् भी हाजिर नहीं। रेस्पोडेट संख्या 1 द्वारा रिकॉर्ड पेश किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्रम पंचायत साधुवाली से प्राप्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपील ग्राम पंचायत साधुवाली जरिए सरपंच आदेश दिनांक 08.08.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अपीलांट के हक में स्वीकृत इंतकाल दिनांक 22–06–2023 पर पुर्नःविचार करने से पूर्व अपीलांट को इस संबंध में धारा 86 की उपधारा 2 के प्रथम परन्तुक के अनुसार इन्तकाल स्वीकृति आदेश दिनांक 22–06–2023 का पुर्नविलोकन करने का कोई नोटिस अपीलांट को नहीं दिया गया। अपीलार्थी हितबद्ध पक्षकार था जिसे सुना जाना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित स्थगन आदेश क्रमांक 1781 दिनांक 2022 में वर्णित भूमि अपीलाधीन भूमि से अलग भूमि होने से रिव्यू करने का आधार भी नहीं था। ग्राम पंचायत द्वारा जिस जमीन का हवाला देकर इंतकाल खारिज किया गया वह जमीन अलग है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.08.2023 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र धारा 75 एल आर.एक्ट धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार की जाकर प्रकरण को तहसीलदार श्रीगंगानगर इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner